

पत्र संख्या-3/एफ-04-01/1999/ 12612. /वि0,
बिहार सरकार
वित्त विभाग
संकल्प

दिनांक- 17.12.2013

विषय:- राज्य सरकार के स्वशासी निकायों/संस्थानों से राज्य सरकार में प्रतिनियुक्ति करने के संबंध में।

वित्त विभागीय संकल्प संख्या 6655 दिनांक 21.07.11 द्वारा राज्य सरकार के स्वशासी निकायों/संस्थानों से राज्य सरकार में प्रतिनियुक्ति संबंधी रोक को निरस्त करते हुए संकल्प में परिशिष्ट के अन्तर्गत बोर्ड/निगम के कर्मियों को राज्य सरकार के अधीन विभागों/कार्यालयों में प्रतिनियुक्ति की पात्रता/प्रक्रिया/शर्तों का निर्धारण किया गया था।

(2) विभिन्न बोर्ड/निगम के संघों के द्वारा वित्त विभागीय संकल्प संख्या 6655 दिनांक 21.07.11 के परिशिष्ट के अन्तर्गत पात्रता के कंडिका-02 में प्रतिनियुक्ति किये जाने वाले कर्मियों की आयु सीमा 55 वर्ष को क्षांत करने का अनुरोध के आलोक में दिनांक 19.04.2012 को विकास आयुक्त की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गयी। बैठक में लिये गये निर्णय को संकल्प संख्या 9147 दिनांक 04.09.13 के द्वारा लागू किया गया।

(3) पुनः बोर्ड/निगम के कर्मियों को राज्य सरकार में प्रतिनियुक्ति करने के संबंध में विकास आयुक्त की अध्यक्षता में दिनांक 12.07.13 को बैठक हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि "यह प्रतिनियोजन मात्र विभाग के अधीनस्थ उपक्रमों में कार्यरत निगमों के कर्मियों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि राज्य सरकार के सभी उपक्रमों के कर्मियों के प्रतिनियोजन के लिए विज्ञापित किया जाना चाहिए।"

(4) उपरोक्त के आलोक में वित्त विभागीय संकल्प संख्या 9147 दिनांक 04.09.13 की कंडिका-03(ख) के स्थान पर निम्नरूप से प्रतिस्थापित करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है :-

प्रशासी विभाग राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के अधीनस्थ बोर्ड/निगम के कार्यरहित कर्मियों के प्रतिनियोजन के लिए पदवार पात्रता एवं शर्तों का निर्धारण करते हुए विज्ञापन प्रकाशित करेगी। प्राप्त आवेदनो में से सुयोग्य आवेदकों को निर्धारित प्रक्रियानुसार चयनित कर आवश्यकता आधारित पदों पर प्रतिनियुक्त किया जा सकेगा। प्रतिनियुक्ति के लिए विभागीय सचिव/प्रधान सचिव सक्षम प्राधिकार होंगे।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राज्य पत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-
(संजीव हंस)
सचिव (संसाधन), वित्त विभाग ।

ज्ञापांक - 3/एफ-04-01/99 - 12612./वि0

पटना, दिनांक:-17.12.13.

प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

ह0/-

(संजीव हंस)

सचिव (संसाधन), वित्त विभाग ।

पटना, दिनांक:-17.12.13

ज्ञापांक - 3/एफ-04-01/99 - 12612./वि0

प्रतिलिपि- सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, विधान परिषद को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-

(संजीव हंस)

सचिव (संसाधन), वित्त विभाग ।

पटना, दिनांक:-17.12.13

ज्ञापांक - 3/एफ-04-01/99 - 12612./वि0

प्रतिलिपि- सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी समाहर्ता/सभी उप विकास आयुक्त एवं सभी अनुमंडल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-

(संजीव हंस)

सचिव (संसाधन), वित्त विभाग ।

पटना, दिनांक:-17.12.13

ज्ञापांक - 3/एफ-04-01/99 - 12612./वि0

प्रतिलिपि- सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी जिला लेखा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-

(संजीव हंस)

सचिव (संसाधन), वित्त विभाग ।

पटना, दिनांक:-17.12.13

ज्ञापांक - 3/एफ-04-01/99 - 12612./वि0

प्रतिलिपि- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/निदेशक, राजकीय लेखन सामग्री भंडार एवं प्रकाशन, गुलजारबाग, पटना/प्रेस एवं फार्म्स, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

2: अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को यह निदेश दिया जाता है कि बिहार गजट के आगामी असाधारण अंक में संकल्प को प्रकाशित किया जाय ।

ह0/-

(संजीव हंस)

सचिव (संसाधन), वित्त विभाग ।

पटना, दिनांक:-17.12.13

ज्ञापांक - 3/एफ-04-01/99 - 12612./वि0

प्रतिलिपि- प्रभारी ई-गजट शाखा एवं सिस्टम एनालिस्ट वित्त विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(संजीव हंस)

सचिव (संसाधन), वित्त विभाग ।